जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 19.05.2024***

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 18 पुड़िया (5.620 ग्राम) अवैध नशीला पाउडर (स्मैक) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध नशीला पाउडर (स्मैक) की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त राकेश भट्ट पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.05.2024 को 18 पुड़िया (5.620 ग्राम) अवैध नशीला पाउडर (स्मैक) के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए वेणी माधव इण्टर कालेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- राकेश भट्ट पुत्र भगवती प्रसाद निवासी मेड़रापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 160/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 18 पुड़िया (5.620 ग्राम) अवैध नशीला पाउडर(स्मैक)।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 धनन्जय सिंह, का0 मनीषचन्द।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 02 अभियुक्तागण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा द्वारा मु0अ0सं0 1106/2023 धारा 498ए/304ए भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद संत कबीर नगर में वांछित अभियुक्तागण 1. किरन देवी पत्नी शिवप्रसाद निवासी खुटवा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर 2. कुमारी रानी पुत्री शिव प्रसाद निवासी खुटवा थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को चमनगंज पेट्रोल पम्प के पास बस्ती रोड से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा उक्त अभियुक्तागण व 02 अन्य के विरुद्ध वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** द्वारा की जा रही थी। उक्त अभियुक्तागण की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी

आज दिनांक 19.05.2024 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तागण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- थाना प्रभारी बखिरा श्री श्याम मोहन, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 जितेश कुमार, म0आ0 कुमारी सुनीता।

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- - **थाना महुली पुलिस द्वारा 02** वारण्टी नाम पता 1- रामसिंह पुत्र स्व0 रामदत्त 2- विजय पुत्र स्व0 रामदत्त निवासीगण टिकुई कोल बाबू थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह, का0 सतेन्द्र यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता पिण्टू मिश्रा पुत्र रामाश्रय मिश्र निवासी बूढ़ी बेलहर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री चन्द्र प्रकाश, हे0का0 उमेश यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 116 वाहनों से 1,19,900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 116 वाहनों से 119900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।